न्यायालयः– मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, नसीराबाद

पीठासीन अधिकारी : नवीन मीणा आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या– 44/2023
सी. आई.एस. नम्बरः 51/2023

समीर खान पुत्र श्री मोहम्मद साबिर उम्र 24 साल निवासी दरी मौहल्ला वार्ड नम्बर 1 नसीराबाद, जिला अजमेर

.......प्रार्थी

बनाम

1– श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री मान सिंह
निवासी खरक पांडव कलायत, कैथल, पुलिस थाना अगरोह, जिला हिसार, हरियाणा
(वाहन चालक व वाहन स्वामी वाहन संख्या एच आर 64–ए–5226)

2– दी ओरियन्टल इन्श्यारेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मंडल प्रबन्धक मण्डल कार्यालय पेट्रोल पम्प के सामने, कचहरी रोड, अजमेर
(बीमा कम्पनी वाहन वाहन संख्या एच आर 64–ए– 5226)
(दिनांक 15–09–2022 से 14–9–2023)

...........अप्रार्थीगण

याचिका अंतर्गत धारा– 166 एवं 140 मोटर यान अधिनियम

उपस्थितः –
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण –श्री शोएबूद्दीन खान
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 2 –श्री जगतार सिंह टूटेजा

निर्णय दिनांकः 10–4–2026

1– उपरोक्त याचिका प्रार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष दिनांक 28–2–2023 को पेश की ।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20–10–2022 को प्रार्थी अपने साथी समन्दर सिंह के साथ वाहन संख्या आर.जे.34 एस एस 9434 मोटरसाईकिल पर सवार होकर आदमपुर से अग्रोहा आ रहे थे कि समय 9.00 पी एम पर वाके पुलिस थाना अग्रोहा जिला हिसार के क्षेत्राधिकार में दक्षिण दिशा बफासला 6.00 किलोमीटर की दूरी पर फ्रांसी जिला अग्रोहा पर पहुचे कि अप्रार्थी संख्या एक ने अपने वाहन एच आर 64 ए 5226 पिकअ को लापरवाहीपूर्वक बिना किसी पत्थर गढी करे, बिना इंडीकेटर जलाये, बिना किसी सूचकांक के बीच सडक पर खडी कर रखी थी जिससे सामने से आ रहे अन्य वाहन की लाईट से मोटरसाईकिल चालक को पिकअप खडी दिखाई नहीं दी और पिकअप से मोटरसाईकिल चालक जा टकराया जिससे मोटरसाईकिल चालक समन्दर सिंह व उसके पीछे बैठे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो गये, मोटरसाईकिल चालक समन्दर सिंह की चोटों के कारण मृत्यु हो गई तथा प्रार्थी को स्थाई अपंगता कारित हुई। उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0471/2022 दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या एक को दोषी पाते हुए सक्षम न्यायालय में अन्तर्गत धारा 283, 337, 338, 427 व 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया ।

प्रार्थी की जिस वाहन से दुर्घटना कारित हुई थी उसका चालक एवं पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी क्रम–1 है तथा उक्त वाहन अप्रार्थी क्रम –2 बीमा कंपनी के पास बीमित था। घायल प्रार्थी घटना के समय करीब 24 वर्ष का नौजवान व्यक्ति था, घायल के दुर्घटना में आई सभी चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु याचिका में वर्णितानुसार सभी मदों में मिलाकर कुल–1,06,92,000/– रूपये की राशि मय वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

3– अप्रार्थी क्रम –1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4– अप्रार्थी क्रम– 2 बीमा कंपनी की ओर से याचिका का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि कथित दुर्घटना के सम्बन्ध में वाहन

संख्या एच आर 64 ए 5226 को झूंठा लिप्त करते हुए झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है । बीमित वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं हुई है । प्रार्थी ने बढा चढाकर आय अंकित की है, प्रार्थी ने झूंठे तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर आवेदन प्रस्तुत किया है । उत्तरदाता बीमा कंपनी अपनी सुरक्षा में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147, 149 व 170 के प्रावधानों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी की शर्तों को अडॉप्ट करती है, जिसके तहत बीमा कंपनी का कोई किसी प्रकार का दायित्व नहीं बनता है । उपरोक्त प्रकरण में बीमित वाहन संख्या एच आर 64 ए 5226 को उसके वाहन स्वामी से मिलीभगत करतेहुए इस प्रकरण में झूंठा लिप्त किया गया है । अतः उसके विरूद्ध याचिका खारिज होने योग्य है।

विवाद्यक

5– पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गएः–

1– क्या अप्रार्थी क्रम–1 कुलदीप सिंह ने दिनांक 20–10–2022 को समय 9.00 पी एम बजे वाके फ्रांसी जिला अगरोह पुलिस थाना अगरोह में प्रार्थी समीर खान अपने साथी समन्दर सिंह के साथ वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.36 एस एस 9434 पर बैठकर जा रहा था के वाहन संख्या एच आर 64 ए 5226 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी जिससे प्रार्थी समीर खान के शरीर पर गंभीर चोटें कारित हुई ?

.....प्रार्थी

2– क्या अप्रार्थी क्रम–1 कुलदीप सिंह द्वारा उक्त् वाहन को वक्त दुर्घटना वाहन चालक/स्वयं के लाभार्थ व हितार्थ चलाया जा रहा था ?

....प्रार्थी

3– क्या घटना के वक्त् दुर्घटना अप्रार्थी संख्या एक के पास वाहन संख्या एच आर 64 ए 5226 को चलाने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था व जवाब याचिका में वर्णित कारणों से क्लेम खारिज होने योग्य है?

.....अप्रार्थी बीमा कंपनी

4– क्या प्रार्थी अप्रार्थीगण से संयुक्त व पृथक पृथक रूप से याचिका में वर्णितानुसार रूपये 1,06,92,00/ – की राशि प्रतिकर के रूप में पाने का अधिकारी है ?

..... प्रार्थी

5.– अनुतोष.

6– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य प्रार्थी में ए.ड.–1 समीर खान स्वयं आहत परीक्षित हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में याचिका के तथ्यों की ताईद करते हुए प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 101 पेश कर प्रदर्शित करवाये है। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से किसी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है ।

7– उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1

8– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.ड.–1 समीर खान ने अपने बयानों में प्रस्तुत शपथ पत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराया है । दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 चार्जशीट, प्रदर्श 2 एफ आई आर, प्रदर्श 3 तहरीर बयान रिपोर्ट, प्रदर्श 4 तहरीर मेडिकल, प्रदर्श 5 बी एच टी, प्रदर्श 6 नक्शा मौका, प्रदर्श 7 नजरी नक्शा, प्रदर्श 8 एम आई वाहन पिकअप, प्रदर्श 9 नोटिस 133 एम वी एक्ट, प्रदर्श 10 फर्द गिरफतारी, प्रदर्श 11 फर्द जब्ती दस्तावेज पिकअप, प्रदर्श 12 रजिस्ट्रेशन, प्रदर्श 13 बीमा पॉलिसी, प्रदर्श 14 डार रिपोर्ट पुलिस, प्रदर्श 15 लगायत 20 तक 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान, प्रदर्श 21 सुपुर्दगीनामा वाहन पिकअप, प्रदर्श 22 पी डी प्रमाण पत्र प्रदर्श 23 मेडिकल बोर्ड रसीद, प्रदर्श 24 व 25 डिस्चार्ज् टिकट, प्रदर्श 26 ब्राहय रोगी पर्ची, प्रदर्श 27 बी एच टी, प्रदर्श 28 डिस्चार्ज टिकिट महात्मा गांधी अस्पताल, प्रदर्श 29 बी एच टी एस एम एस होस्पीटल, प्रदर्श 30 लगायत प्रदर्श 97 मेडिकल बिल दवाईयों की पर्चिया, प्रदर्श 98 व 99 आधार कार्ड पेन कार्ड, प्रदर्श 100 स्वयं का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 101

दिल्ली पुलिस परीक्षा का कार्ड प्रस्तुत कर

09– दौराने जिरह अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से उक्त गवाह ने कथन किया कि मैं बारहवी कक्षा उत्तीर्ण हूॅ । मेरी जन्म दिनांक 26–4–1998 है । मैं अविवाहित हूॅ । दिनांक 20–10–2022 को रात्रि करीब 9 बजे यह दुर्घटना हुई थी । यह दुर्घटना हिसार जिले में आदमपुर से अग्रोहा के बीच हुई थी। मैं वहां किसी के अधीन फसल अन्वेक्षक फील्ड वर्क करता था। यह सही है कि मेरे कोई सरकारी या पक्की नौकरी नहीं थी । यह सही है कि मैं आयकर विवरणी नहीं भरता हूॅ । यह सही कि मेरी मासिक आय का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र या बैंक स्टेटमेन्ट नहीं है। मैं मोटरसाईकिल के पीछे बैठकर जा रहा था मोटरसाईकिल मेरा दोस्त समन्दर सिंह चला रहा था। बाईक के नम्बर आर.जे.34 एस एस 9434 है, मोटरसाईकिल हिरो स्पलेण्डर थी। मोटरसाईकिल पिकअप फोर व्हीलर में पीछे जाकर भिडी थी, पिकअप रोड पर खडी हुई थी, सडक पर वाहनों की आवक जावक चल रही थी । सडक सिंगल थी उस पर कोई डिवाईडर नहीं था । पिकअप में ड्राईवर बैठा था, पिकअप खडी हुई थी व स्टार्ट थी । यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल चालक समन्दर का ध्यान दूसरी तरफ हो इसलिए उसने आगे खडी पिकअप पर ध्यान नहीं दिया व ध्यान चूकने से समन्दर की गलती से मोटरसाईकिल पिकअप के पीछे जाकर भिड गई हो । मुझे एक्सीडेन्ट के बाद हिसारके सरकारी अस्पताल लेकर गये व उसके बाद हिसार से महात्मा गांधी होस्पीटल लेकर गये, जहां से करीब दो दिन भर्ती रहा। उसके बाद एस एम एस जयपुर में 9–10 दिन भर्ती रहा । वर्तमान में मेरे कोई घाव नहीं है तथा कोई लगातार ईलाज नहीं चल रहा लेकिन मेरी तबियत खराब होने से दवाईयां लेनी पडती है । मेरा किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा में कभी चयन नहीं हुआ स्वतः कहा कि मैने परीक्षा दी थी। दुर्घटना में मेरे पैर में कन्धे व सिर में फ्रेक्चर हुआ था । मेरे सिर का ऑपरेशन नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि मैं आज ऑन लाईन कार्य करके आय अर्जित कर रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैने ईलाज के खर्चे के फर्जी बिल बनवाकर पेश किये हो। किसने लिखाई मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि पिकअप वाले की गलती से दुर्घटना नहीं हुई हो ।

दुर्घटना में लापरवाही का बिन्दुः–

11– दुर्घटना में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसमें पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 के चालक द्वारा वाहन को बिना किसी इंडीकेटर, लाईट अथवा बिना किसी सूचकांक के बीच सडक पर खडी थी जिससे सामने से आ रहे वाहन की लाईट से मोटरसाईकिल चालक को पिकअप खडी दिखाई नहीं दी और पिकअप से मोटरसाईकिल जा टकराये जाने का कथन अंकित है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 को जब्त किया गया एवं उसका मैकेनिकल मुआयना किया गया। प्रकरण में वांछित दुर्घटनाग्रस्त वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 के चालक अप्रार्थी संख्या एक के खिलाफ चार्जशीट प्रदर्श 1 प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार भी वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 के चालक अप्रार्थी संख्या 01 की गलती से ही दुर्घटना होना अभिवचित किया गया है, इस संबंध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसे में वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 का दुर्घटना में लिप्त होना प्रमाणित है, जिसमें गलती व लापरवाही वाहन के चालक कुलदीप सिंह की प्रकट होती है जिसमें घायल समीर खान की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है। प्रार्थी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी के साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा कोई साक्ष्य अथवा जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी के उपरोक्त तर्क सारहीन होने से मान्य नहीं है।

बीमा कम्पनी की आपत्ति–

12– विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी का यह तर्क रहा है कि दुर्घटना में स्वयं प्रार्थी एवं उसके चालक समन्दर सिंह की रही है, जिन्होने तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर दुर्घटना कारित की है ।

13– उक्त तर्कों पर मनन किया, जहां तक बीमा कम्पनी की आपत्ति का प्रश्न है इस बाबत बीमा कम्पनी की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त प्रकरण में

बाद अनुसंधान आरोप पत्र अप्रार्थी संख्या एक पिकअप चालक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । ऐसे में विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी का उक्त तर्क संधारण योग्य नहीं है ।

13– ऐसे में निष्कर्षतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से साक्ष्य के आधार पर यह भलिभांति प्रकट होता है कि वाहन चालक कुलदीप सिंह ने वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक बीच सडक पर बिना किसी सूचकांक के खडा करने से प्रार्थी का वाहन वाहन संख्या आर.जे.34 एस एस 9434 मोटरसाईकिल जाकर टकरा गई, जिससे प्रार्थी के गंभीर चोटें कारित हुई एवं दौराने इलाज उसे अपंगता कारित हुई । अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थी के पक्ष में किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या–2

14– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस संबंध में पत्रावली पर वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस व ड्राईविंग लाईसेंस पेश हुए हैं जिनसे उक्त वाहन का रजि. स्वामी एवं चालक अप्रार्थी क्रम–1 एवं अप्रार्थी क्रम–2 के यहां बीमित होना प्रमाणित है इसी प्रकार बीमा पॉलिसी अनुसार उक्त वाहन दिनांक 15–09–2022 से 14–09–2023 तक की अवधि के लिए बीमा कंपनी के पास बीमित होना स्वीकृत स्थिति है। अतः प्रमाणित व साबित है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार प्रश्नगत वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 को अप्रार्थी संख्या एक कुलदीप सिंह द्वारा चलाया जाना प्रमाणित है और यह एक अखण्डित तथ्य है तथा प्रमाणित व साबित है। इस प्रकार वाहन चालक एवं स्वामी कुलदीप सिंह था, यह साबित है तथा इस पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 का रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम–1 था, यह साबित है और इसके अलावा वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा बीमित था, यह तथ्य साबित है।

क्षतिपूर्ति का दायित्व

15– यहां पर अब यह अधिकरण क्षतिपूर्ति के सिविल दायित्व और

आपराधिक दायित्व के संबंध में यह स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी क्रम–1 वाहन चालक का अपराधिक कृत्य जो कि धारा– 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय प्रकृति में आता है उसके लिए वह अपराधिक विधि के अधीन criminal liability के अधीन रहता है और प्रतिकर के वास्ते क्षतिपूर्ति (damages) के सिविल दायित्व के अधीन उसका दायित्व अपने नियोजक में समाहित हो जाता है ।

इसी संदर्भ में अधिकरण अपकृत्य विधि के सिद्धांत Respondent Superior का भी यहां उल्लेख करना चाहेगा। विधि के सिद्धांत के अनुसार सेवक के कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी माना जाता है और जहां पर भी एजेन्ट–प्रिंसिपल/सर्वेण्ट–मास्टर, एम्पलोई–एम्पलोयर का संबंध आता है वहां विधि का यह सिद्धांत लागू होता है और चूंकि अप्रार्थी क्रम–1 अपने चालक के कर्तव्य के रूप में अर्थात नियोजन के क्रम में वाहन चला रहा था इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन Tortious liability Is (employment) वह पृथक हो जाता है। यदि चालक के बाहर जाकर कोई कृत्य करता तो स्थिति भिन्न होती।

16– अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अप्रार्थी क्रम–1 वाहन चालक को क्षतिपूर्ति के दायित्व से पृथक किया जाता है और चालक के अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिये उसके नियोजक अर्थात employer पर क्षतिपूर्ति का दायित्व आ जाता है।

17– अतः उपरोक्त विवाद्यक इस प्रकार विनिश्चित किया जाता है कि अप्रार्थी क्रम–1 दिनांक 20–10–2022 को वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 को उक्त वाहन का स्वामी होने से अप्रार्थी क्रम–1 मालिक के नियोजन में उनके हितार्थ चला रहा था और इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 अपकृत्यपूर्ण लापरवाही और उससे हुई प्रार्थी की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार हैं, जिस पर अप्रार्थी क्रम –1 के द्वारा उक्त वाहन पिकअप नम्बर एच आर 64 ए 5226 का बीमा बीमा कम्पनी– दी ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा किए जाने का कथन किया, जिसकी प्रति पत्रावली पर पेश है साथ ही बीमा कंपनी अप्रार्थी क्रम–2 भी बीमा करार के दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

विवाद्यक संख्या– 3

18– इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी बीमा कंपनी पर है। इस प्रकरण में चालक कुलदीप सिंह का ड्राइविंग लाईसेंस पत्रावली पर प्रदर्श 12 पेश हुआ है जो ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने हेतु दिनांक 11 जनवरी 2027 तक की अवधि के लिए वैध व प्रभावी है एवं दुर्घटना दिनांक 20–10–2022 को घटित हुई थी और इस तिथि को वह वाहन चलाने हेतु वैध रूप से सक्षम था तथा योग्य था और इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं है। विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त ड्राईविंग लाईसेंस वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी नहीं हो। अतः वक्त दुर्घटना चालक कुलदीप सिंह के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस होना साबित है। इसके अतिरिक्त अन्य आपत्तियों बाबत विवाद्यक संख्या–2 में विस्तृत विवेचना किये जाने से अब यहां पर उनके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय अप्रार्थी संख्या–2 बीमा कंपनी के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 4

19– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी ने विवाद्यक संख्या 01 में यह साबित किया है कि उसके शरीर पर आई स्थायी अपंगता चालक कुलदीप सिंह के द्वारा कारित लापरवाही व उपेक्षा का परिणाम है। अब अधिकरण को यह देखना है कि प्रार्थी निम्नलिखित मदों में कितनी राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैः–

1. धन से नुकसानी
2. आय की हानि/भविष्यगामी आय की हानि
3. धन से भिन्न नुकसानी

1. धन से नुकसानीः–

प्रार्थी समीर खान ने प्रदर्श– 30 लगायत प्रदर्श–97 तक मेडिकल बिल पर्चियां व मेडिकल से संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं, जिन पर

प्रार्थी द्वारा करीब एक लाख पचास हजार रुपये व्यय होने का कथन किया है, इस बाबत पत्रावली का अवलोकन करे तो प्रार्थी द्वारा प्रदर्श 30 लगायत 97 मेडिकल बिल व कैसे रिसीव बिल पेश किये है, उक्त् बिलों का योग करे तो राशि 1,23,691/रू होता है । अतः ईलाज व गंभीर चोट को देखते हुए प्रार्थी को **1,24,000/– रुपये** की राशि ईलाज के खर्च पेटे दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

पत्रावली पर उपलब्ध डिस्चार्ज टिकिट जिनका विवरण निम्न प्रकार है भर्ती रहा है

क्रम संख्या	प्रदर्श	भर्ती अवधि	कुल दिन
01	28	21–10–2022–22–10–2022	1
02	24	22–10–2022–29–10–2022	8
03	25	06–04–2023–10–04–2023	5

इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी ने अस्पताल में कुल **14** दिन भर्ती रहकर विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अस्पताल में भर्ती रहने बाबत 1,000/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 14 दिन के कुल 14×1,000/– **14,000/– रुपये** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी ने अपनी चोट का इलाज करवाया है । प्रार्थी के शरीर पर गंभीर चोट आई है, ऐसी स्थिति में उसे निश्चित रुप से कुछ समय के लिए दूसरे पर आश्रित रहना पडा है, अतः परिचर्या व्यय (Attendant) बाबत प्रार्थी को एकमुश्त **14,000/– रुपये** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

प्रार्थी ने अपने इलाज के दौरान विशिष्ट पौष्टिक आहार भी लिया होगा, ऐसी स्थिति में इस मद में प्रार्थी को एकमुश्त **14,000/– रुपये**

दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

घायल समीर खान की आयु का बिन्दुः–

20. क्षतिपूर्ति राशि निधार्रण करने के लिए सर्वप्रथम अधिकरण को पत्रावली पर आई साक्ष्य से घायल की आयु व मासिक आय पर विचार करना है। प्रार्थी ने याचिका में अपनी अपनी आयु 24 वर्ष अंकित की है तथा आहत के आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 98 प्रस्तुत की गई है जिसमें आहत की जन्म दिनांक 26–04–1998 अंकित की गई है, उक्त आधार कार्ड में अंकित जन्म दिनांक से आयु की गणना करे तो दुर्घटना दिनांक को आहत की दुर्घटना दिवस 22–10–2022 को आयु **24 वर्ष 05 माह 26 दिन** उभर कर आती है। इस प्रकार उक्त पहचान पत्र में अंकित जन्म दिनांक के अनुसार आहत की आयु 24 वर्ष निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

घायल समीर खान की आय का बिन्दु

21. जहां तक घायल समीर खान की आय का संबंध है, प्रार्थी ने याचिका में स्वयं को कृषि फसल बीमा सर्वेयर के पद पर कार्य करते हुए प्रतिमाह 20,000/रू की आय अर्जित किया जाना अभिवचित किया है किन्तु उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मेरी कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं थी, इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि उसकी कोई आयकर विवरणी नहीं है । इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मासिक आय का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र या बैंक स्टेटमेन्ट नहीं है । ऐसे में यह तथ्य नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी किसी प्रकार की सेवा में हो एवं उसका निर्धारित मासिक वेतन हो । अधिकरण के विनम्र मत में आहत नौजवान युवक है, साथ ही दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसका जीवन कष्टप्रद भी हुआ है इसके अतिरिक्त आहत का सम्पूर्ण जीवन शेष है, ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन को जीने हेतु भविष्य में कार्य नहीं कर सकेगा एवं वर्तमान में भी वह बिना किसी कार्य के जीवन को गति दे रहा हो यह नहीं माना जा सकता है ।

ऐसे में घायल का कुशल श्रमिक होना अधिकरण मानता है। कुशल श्रमिक की वर्ष 2022 में प्रचलित तत्कालीन न्यूनतम मजदूरी दरों के आधार पर उसकी मासिक आय **7358/–रूपये** मासिक निर्धारित किया जाना न्यायोचित है।

2. आय की हानि/भविष्यगामी आय की हानि

22– अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थी का विभिन्न अस्पतालों में ईलाज चला है तथा उसके पैरों में क्षति कारित हुई है तथा उसके बैठने एवं चलने में काफी परेशानी का सामना करना पडेगा ऐसे में प्रार्थी को प्रत्येक कार्य के लिए सहायक की आवश्यकता होगी। उसकी स्थायी निर्योग्यता **22 प्रतिशत** ही मानी जायेगी।

जबकि विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी ने कथन किया है कि यह स्थायी निर्योग्यता पूरे शरीर की न होकर अंग विशेष की है ।

उक्त तर्कों पर मनन किया, प्रार्थी के द्वारा पेश डिस्चार्ज टिकट व स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 22 व अन्य मेडिकल दस्तावेज का अवलोकन करने से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी के पैरों में काफी परेशानी हो रही है वह नीचे नहीं बैठ सकता, चलने फिरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी एक शिक्षित होकर कुलश श्रमिक है । प्रार्थी की स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के अलावा प्रार्थी के शरीर पर आई स्थायी निर्योग्यता का निर्धारण करने से पूर्व उसके कार्य, व्यवसाय व आयु को भी ध्यान में रखना आवश्यक है ।

प्रार्थी नौजवान नवयुवक है उसके समक्ष उसका जीवन एवं उसके शेष है अतः यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसके शरीर में जो क्षति हुई है उसके परिणामस्वरूप प्रार्थी जीवन भर एक कुशल श्रमिक का कार्य नहीं कर पायेगा बल्कि उसे अपने कई कार्यों के लिए अन्य व्यक्ति की मदद की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अधिकरण के विनम्र मत

में आहत नवयुवक है ऐसी स्थिति में उसके समक्ष पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में दिक्कतों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थी के नवयुवक होने एवं उसके पैरों में हुई दिक्कत के तथ्य को अवधारित करते हुए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित न्यायिक दृष्टांत **राजकुमार बनाम अजय कुमार एस.एस.सी.–2011(प)(एस.सी.) पृष्ठ–343** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि आहत को कारित हुई सम्पूर्ण चोट के सामूहिक प्रभाव से आहत के सम्पूर्ण शरीर की कार्यक्षमता में कमी आती है, उस परिस्थिति में स्थाई निर्योग्यता को समग्र शरीर की निर्योग्यता के रुप में अवधारित किया जाना चाहिए। यदि अशक्तता प्रमाण–पत्र अंग विशेष अशक्तता के बारे में वर्णित करता हो तो उसे सम्पूर्ण शरीर की अशक्तता नही मानी जा सकती है। किसी अंग विशेष की अशक्तता सम्पूर्ण शरीर की कार्य क्षमता को किस प्रकार एवं किस स्तर तक प्रभावित करता है, उसी के आधार पर शरीर की स्थाई निर्योग्यता का आंकलन किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण में आहत के चोट आने के कारण वह नीचे नहीं बैठ सकता चलने फिरने में भी दर्द का अहसास होगा। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आहत के शरीर पर कारित चोटे एवं उसके द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति को देखते हुए कारित स्थाई निर्योग्यता से सम्पूर्ण शरीर के स्तर तक 22 प्रतिशत माना जाना, इस अधिकरण के मत में समुचित है। अतः उपरोक्त तथ्य से प्रार्थी की आय एवं भविष्य में होनी वाली आय की हानि 22 प्रतिशत तय की जाती है ।

आय में वृद्धि की भावी प्रत्याशा का बिन्दु

23. जहां तक घायल समीर खान की आय में भावी प्रत्याशा का संबंध समीर खान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो उसकी आमदनी में अवश्य ही बढ़ोत्तरी होती ऐसे में घायल की आमदनी में भावी प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जाये।

24. अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घायल की आमदनी निश्चित नहीं थी । निश्चित आय का भी कोई प्रमाण पत्र भी

प्रार्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः घायल की आमदनी में भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

25. अधिकरण ने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रार्थी को घायल समीर खान की आय में भावी प्रत्याशा जोड़ कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यानपूर्वक मनन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2017(2) आर.ए.आर. 147 (एस. सी.) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी** में यह माना है कि जहां मृतक/घायल स्वनियोजित रहा हो तो उस स्थिति में घायल की उम्र 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत की भावी वृद्धि की जायेगी, 40 से 50 के मध्य 25 प्रतिशत एवं 50 से 60 के मध्य 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा प्रकरण हाजा में घायल की उम्र 24 वर्ष है तो उसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन लेने पर यह अधिकरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, घायल के कार्य की प्रकृति, उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए घायल की उपरोक्त आमदनी में भावी वृद्धि किया जाना न्यायोचित समझता है।

3. धन से भिन्न नुकसानी

26– जहां तक कष्ट व वेदन की प्रतिकर राशि का संबंध है तो प्रार्थी के डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार 03 छोटे बडे ऑपरेशन किये गये है, उसके पैरों में क्षति कारित हुई है। ऐसी स्थिति में गंभीर चोट एवं पीडा व संताप्त हेतु **50,000/– रुपये** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

27– प्रार्थी के पैरों में क्षति कारित हुई है, ऐसे में उसे जीवनभर सहायक की आवश्यकता होगी, इस बाबत अधिकरण के समक्ष साक्ष्य भी पेश की गई है इस तथ्य को देखते हुए आहत कको परिचारक /सहायक की मद में **50,000/– रुपये** दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

28– परिणामतः प्रार्थी को उपरोक्तानुसार सभी मदों में देय क्षतिपूर्ति की

राशि निम्न प्रकरण निर्धारित की जाती है ।

	मद	प्रतिकर राशि
01	मासिक आय 7358/–रुपये + भावी प्रत्याशा 40 प्रतिशत 7358+ 2943= 10,301/–रुपये 10,301 की 22 प्रतिशत राशि = 2266– 2266X12X18	**4,89,456/– रूपये**
02	मेडिकल बिल एवं परिवहन आदि हेतु	**1,24,000/– रूपये**
03	परिचर्या व्यय हेतु	**14,000/–रूपये**
04	भर्ती हेतु	**14,000/–रूपये**
05	भर्ती पौष्टिक आहार हेतु	**14,000/– रूपये**
06	पीडा एवं संताप्त हेतु	**50,000/– रूपये**
07	परिचारक /सहायक की मद मे	**50,000/–रूपये**
	कुल क्षतिपूर्ति	**7,55,456/– रूपये**

29– सभी विवाद्यकों के विनिश्चय के फलस्वरूप उपरोक्त याचिका का प्रार्थी उपरोक्तानुसार प्रतिकर राशियां प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

अनुतोष

30– विवाद्यक संख्या 01 व 02 के निर्णायानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका आंशिक रुप से स्वीकार किए जाने योग्य है ।

आदेश

31– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण 01 ता 03 स्वीकार कर निम्न प्रकार निर्णीत की जाती है:

(अ) प्रार्थी, अप्रार्थी 01 ता 03 से संयुक्ततः और पृथक पृथक रूप से कुल–**7,55,456/–रूपये (अक्षरे सात लाख पचपन हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र)** की राशि प्रतिकर के रूप में पाने की अधिकारी है। वह उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 28–02–2023 से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(ब)उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थी में निम्न प्रकार से वितरण की जानी है:

क्रम संख्या	नाम प्रार्थीगण	बचत खाते में राशि	एफ.डी.आर. राशि	एफ.डी.आर. की अवधि
1	समीर खान	2,55,456 मय ब्याज	1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000	एक वर्ष हेतु दो वर्ष हेतु तीन वर्ष हेतु चार वर्ष हेतु पांच वर्ष हेतु

(स) सावधि राशि पर इस न्यायाधिकरण की स्वीकृति के बिना न तो कोई ऋण लिया जा सकेगा न ही समय पूर्व भुगतान किया जा सकेगा।

(य) अप्रार्थी क्रम संख्या दो बीमा कम्पनी प्रार्थी को देय क्षतिपर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सी) 534/2020 बजाज लियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रा.लि. बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के **यूनियन बैंक आफॅ इंडिया शाखा नसीराबाद** में संचालित खाता संख्या **9112010**

10000055 जिसका **आईएफएससी कोड UBIN0591122** है, उक्त राशि नेफ्ट/ आरटीजीएस के माध्यम से जमा करावें एवं इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना प्रस्तुत करें । निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे ।

निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जाये।

(**नवीन मीणा**)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
नसीराबाद।

32– निर्णय आज दिनांक 10–04–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(**नवीन मीणा**)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
नसीराबाद।